कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552–294199 ई–मेल dlsa16hanumangarh@gmail.com

क्रमांक :– जिविसेप्रा / मध्यस्थता / 2025 / 1334-1342 दिनांक :– 20/02/2025

प्रेषिति :– श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
हनुमानगढ़

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
हनुमानगढ़

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति समस्त,
हनुमानगढ़

अध्यक्ष,
बार संघ, हनुमानगढ़

विषय :– मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– 1. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ4 ( ) रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 26080–26115 दिनांक 03.02.2025

2. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ4 (225) रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 27595–630 दिनांक 20.02.2025 की अनुपालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में सादर निवेदन है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जिला मुख्यालय एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये थे **जिसकी आवेदन अवधि प्रासंगिक पत्र क्रम 02 के अनुसार दिनांक 01.03.2025 तक बढ़ा दी गई है।** अतः उक्त पत्र की प्रति, विज्ञप्ति तथा आवेदन फॉर्म की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति आप अपने न्यायालय / कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने की कृपा करें।

सलंग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

20.2.25
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल *dlsa16hanumangarh@gmail.com*

क्रमांक :- जिविसेप्रा / मध्यस्थता / 2025 / 1339-1342 दिनांक :- 20/02/2025

प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त विज्ञप्ति जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।

20.2.25
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

// राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई–मेल: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईट: https://rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ4(225)रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 27595-630 दिनांक: 20/02/2025

प्रेषिति:

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषय: मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

प्रसंग:–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ.4( )रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 26080 –26115 दिनांक 03.02.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से दिनांक 17.02.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.02.2025 प्रेषित किया गया था।

निर्देशानुसार निवेदन है कि पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 03.02.2025 के क्रम में आवेदन आमंत्रित किये जाने की **अंतिम दिनांक 01.03.2025** की जाती है।

अतः अंतिम दिनांक 01.03.2025 को आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बाद वांछित पात्रता / योग्यता के अनुसार जांच एवं छंटनी किए जाकर योग्य एवं सक्षम आवेदकों की सूची प्रासंगिक पत्र के साथ **संलग्न प्रारूप** में सॉफ्ट कॉपी (Excel file) एवं पीडीएफ में **दिनांक 04.03.2025** तक इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

R.R.No-151
20/02/25
वांछित पालना करें।

सादर

भवदीय,

Diom Attri

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई–मेल: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईट: https://rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ4(   )रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 26080–26115   दिनांकः 03.02.2025

प्रेषितिः

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं।

उक्त संबंध में निवेदन है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कलक्टर, बार एशोसिएशन कार्यालयों के बाहर स्पष्टतः दृष्टव्य स्थानों / नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर आपके जिले में संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों हेतु मध्यस्थ बनने के इच्छुक, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों से दिनांक 17.02.2025 तक जिला स्तर एवं तालुका स्तर के लिए पृथक–पृथक आवेदन **संलग्न प्रारूप** में प्राप्त किये जावें।

प्राप्त आवेदनों की जांच एवं छंटनी निम्नानुसार की जावे–

1. वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के पार्ट–II नियम–4 में वर्णित निम्नानुसार पात्रता रखते हों–
   (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
   (ii) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
   (iii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश
   (iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण
   (v) कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
2. आवेदकों द्वारा गत तीन वर्षों में भरे गये आयकर रिटर्न (ITR) के अनुसार उनकी वार्षिक आय 05 लाख रूपये या उससे अधिक हो।
3. आवेदक अधिवक्ता होने की स्थिति में, उनके द्वारा गत तीन वर्षों में सिविल / क्रिमिनल प्रकृति के कम से कम 36 प्रकरणों में पैरवी की गई हो।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाष 0141-2227481 फैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई–मेल: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईट: https://rlsa.rajasthan.gov.in

जिला मुख्यालयों एवं तालुका स्तर पर मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो यहां चिपकाएं

1. आवेदक का नाम
   हिन्दी में..
   अंग्रेजी में..
2. आवेदक के पिता/पति का नाम..
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में)...
4. गृह जिला..
5. जिले/तालुका का नाम, जहां अपनी सेवाएं देना चाहते हैं?........................
6. स्थायी पता..
   ....
   ....
7. वर्तमान पता..
   ....
   ....
8. मोबाईल नम्बर..
9. ई–मेल एड्रेस (बड़े अक्षरों में)..
10. कार्यालय का पता..
11. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):–

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख..
13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)..
14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए) ....
15. सेवानिवृत्ति की दिनांक..
    ....
    (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी हेतु)..........................
17. वकालत का अनुभव..

18. सिविल / क्रिमिनल प्रकरणों की संख्या जिनमें पैरवी की हो (विधि व्यवसायी हेतु)

....

19. अन्य कार्य / व्यवसाय का अनुभव..

क्र. सं.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज
1.			
2.			
3.			

20. वर्तमान कार्य / व्यवसाय (Occupation) का विवरण..

21. विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न का विवरण:–

क्र. सं.	आयकर रिटर्न वर्ष	आयकर रिटर्न के अनुसार कुल आय
1.		
2.		
3.		

22. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति / पत्नी हैं? हाँ / नहीं

23. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..पुत्र / पत्नी श्री.. घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

नोट: आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवानिवृति आदेश व आयकर रिटर्न की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं।